रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022024-252294
CG-DL-E-22022024-252294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 781] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2024/फाल्गुन 3, 1945**
No. 781] **NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2024/PHALGUNA 3, 1945**

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2024

सं. 06/2024-केन्द्रीय कर

का.आ. 818(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 158क और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट" को ऐसी प्रणाली के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके साथ केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 158क की उपधारा (2) के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल पर सूचना को साझा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट" से उद्यम श्रेणी का एक ओपन आर्किटेचर सूचना प्रौद्योगिकी मंच अभिप्रेत है, जिसकी अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2023 की "विकासकारी और विनियामक नीतियों पर कथन" पर उसके भाग के रूप में की गई है तथा इसका विकास उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा प्रत्यय के बृहत वातावरण में उसके प्रचालनों के लिए किया गया है, जिससे विभिन्न डाटा स्रोतों से डिजीटल रूप में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और जहां वित्तीय सेवा प्रदाता और बहुल डाटा सेवा प्रदाता मानक और प्रोटोकाल चलित आर्किटेक्चर, ओपन और साझा अनुप्रयोग कार्यक्रम इंटरफेस (एपीआई) फ्रेमवर्क का उपयोग करते किसी मंच पर मिलते हैं, से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/1/2024-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2024

No. 06/2024 –Central Tax

S.O. 818(E).—In exercise of the powers conferred by section 158A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies "Public Tech Platform for Frictionless Credit" as the system with which information may be shared by the common portal based on consent under sub-section (2) of Section 158A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

***Explanation*.—** For the purpose of this notification, "Public Tech Platform for Frictionless Credit" means an enterprise-grade open architecture information technology platform, conceptualised by the Reserve Bank of India as part of its "Statement on Developmental and Regulatory Policies" dated the 10th August, 2023 and developed by its wholly owned subsidiary, Reserve Bank Innovation Hub, for the operations of a large ecosystem of credit, to ensure access of information from various data sources digitally and where the financial service providers and multiple data service providers converge on the platform using standard and protocol driven architecture, open and shared Application Programming Interface (API) framework.

[F. No. CBIC-20001/1/2024-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.02.22 20:03:43 +05'30'